उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 7 अंक 7 1-15 अप्रैल 2024 ₹ 20/-

सिविल सेवा परीक्षा में मुस्लिम अभ्यर्थियों को भारी सफलता

- चुनावों के बाद असम में बहुपत्नी प्रथा पर प्रतिबंध
- बलूचिस्तान में अपहरण के बाद नौ पंजाबी यात्रियों की हत्या
- इजरायल और ईरान के बीच परमाणु युद्ध का खतरा
- तुर्किये के स्थानीय चुनावों में राष्ट्रपति एर्दोगन को बड़ा झटका

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

सिविल सेवा परीक्षा में मुस्लिम अभ्यर्थियों को भारी सफलता 04
सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा कानून रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक 06
ज्ञानवापी में पूजा और भोजशाला के सर्वे पर रोक लगाने से सर्वोच्च न्यायालय का इंकार 10
हज के किराए में कटौती 15
चुनावों के बाद असम में बहुपत्नी प्रथा पर प्रतिबंध 16

विश्व

बलूचिस्तान में अपहरण के बाद नौ पंजाबी यात्रियों की हत्या 18
अब बांग्लादेश में भी 'इंडिया आउट' का नारा 19
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सऊदी युवराज से मुलाकात 22
चीन में रोजा और नमाज पर प्रतिबंध 24
अमेरिकी व्हाइट हाउस में इफ्तार का आयोजन रद्द 25

पश्चिम एशिया

इजरायल और ईरान के बीच परमाणु युद्ध का खतरा 26
तुर्किये के स्थानीय चुनावों में राष्ट्रपति एर्दोगन को बड़ा झटका 28
शिया ईरान की सैन्य चौकियों पर सुन्नी आतंकी संगठन का हमला 30
नार्वे और आयरलैंड फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए तैयार 32
हमास के प्रमुख का परिवार इजरायली हमले में मारा गया 33
दो करोड़ लोगों ने मस्जिद-ए-नबवी की जियारत की 34

सारांश

पिछले एक दशक से देश के अल्पसंख्यकों के एक वर्ग द्वारा मुसलमानों की उपेक्षा के नाम पर मोदी सरकार के खिलाफ जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उसकी कलई हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों की सूची से खुल गई है। इस वर्ष 50 से अधिक मुस्लिम अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में सफल हुए हैं। इनमें से 21 महिलाएं भी हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले मुस्लिम अभ्यर्थियों की संख्या में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। 1981 में सफल होने वाले कुल अभ्यर्थियों में से मुस्लिम अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व 0.79 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर लगभग पांच प्रतिशत तक पहुंच गया है। साल 2010 में 21 मुस्लिम अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में सफल हुए थे। जबकि 2012 में 30, 2013 में 34 और 2014 में 38 मुस्लिम अभ्यर्थी सफल हुए थे। 2016 में सर्वाधिक 52 मुस्लिम अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में सफल हुए थे और इस साल भी उनकी संख्या 50 से ऊपर ही है।

मध्य पूर्व में स्थिति दिन-प्रतिदिन विस्फोटक होती जा रही है। छह महीने पहले हमास जैसे इस्लामी आतंकी संगठनों ने अचानक इजरायल पर धावा बोला था। हालांकि, प्रारंभ में उन्हें कुछ सफलता मिली, मगर बाद में इजरायल की जवाबी कार्रवाई के कारण उनकी हालत खराब होती चली गई। मुस्लिम जगत ने विश्व मंच पर इजरायल के खिलाफ दबाव बनाने का प्रयास किया। अरब मीडिया ने यह धुंआधार प्रचार शुरू किया कि इजरायली फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहे हैं और अब तक वे 30 हजार से अधिक लोगों की हत्या कर चुके हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में चल रहे युद्ध को समाप्त करवाने के प्रयास सक्रिय तौर पर शुरू किए थे, मगर अब अचानक ईरान द्वारा इजरायल पर मिसाइलों और रॉकेटों से किए गए हमले के बाद स्थिति बहुत विस्फोटक हो गई है। ईरान का दावा है कि उसने यह कार्रवाई सीरिया स्थित ईरानी दूतावास पर इजरायली हमले के जवाब में की है, जिसमें ईरान समर्थित हमास के साथ-साथ ईरान की मिलिशिया पासदारान-ए-इंकलाब के दो वरिष्ठ कमांडर सहित सात सैन्य सलाहकार भी मारे गए थे। अब इजरायल ने भी ईरान के खिलाफ जिस तरह से जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी है उससे स्थिति विस्फोट होने की संभावना बढ़ गई है। अमेरिका ने यह संकेत दिया है कि वह इस संकट की घड़ी में इजरायल की सहायता करेगा। जबकि चीन भी ईरान की सहायता के लिए मैदान में कूदने की तैयारी कर रहा है। इससे विश्व युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया है।

पाकिस्तान में आतंकवादियों की गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। अफगानिस्तान और ईरान का यह आरोप है कि पाकिस्तान की भूमि में सक्रिय इस्लामी आतंकी संगठनों द्वारा अफगानिस्तान और ईरान के नागरिकों को निरंतर निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में ईरान ने पाकिस्तान के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों को अपने रॉकेटों का निशाना बनाया था, जिसमें कुछ लोग मारे भी गए थे। जब पाकिस्तान सरकार ने ईरान की इस कार्रवाई पर विरोध प्रकट किया तो ईरान ने यह सफाई दी कि उसने सुन्नी इस्लामी आतंकी संगठन जैश अल-अदल के ठिकानों को निशाना बनाया है। इस संगठन द्वारा पिछले कई वर्षों से ईरानी सैन्य चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी पाकिस्तान पर यह आरोप लगा चुकी है कि इस्लामी आतंकी संगठन अफगानिस्तान में हिंसा फैलाने के लिए पाकिस्तान की भूमि का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बस में सवार नौ पंजाबी यात्रियों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। इस हमले में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हाथ बताया जाता है। इसके बाद पंजाब और बलूचिस्तान के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं।

सिविल सेवा परीक्षा में मुस्लिम अभ्यर्थियों को भारी सफलता

औरंगाबाद टाइम्स (17 अप्रैल) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2023 में सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। औरंगाबाद टाइम्स ने कहा है कि इस बार की सिविल सेवा परीक्षा में 53 मुस्लिम अभ्यर्थी सफल हुए हैं। शीर्ष के दस सफल अभ्यर्थियों में उत्तर प्रदेश की नौशीन भी शामिल है। नौशीन ने 9वीं रैंक हासिल की है।

उर्दू टाइम्स (17 अप्रैल) के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा 2023 में 51 मुस्लिम अभ्यर्थी सफल हुए हैं। जबकि **मुंबई उर्दू न्यूज** (17 अप्रैल) के अनुसार सफल मुस्लिम अभ्यर्थियों की संख्या 52 है।

एतेमाद के अुनसार इन प्रतियोगी परीक्षाओं में कुल 1016 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिनमें से 51 मुसलमान हैं।

अवधनामा (17 अप्रैल) के अनुसार जामिया मिलिया इस्लामिया की आवासीय कोचिंग एकेडमी में प्रशिक्षित 31 अभ्यर्थियों ने इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। इनमें नौशीन भी शामिल है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया था। इसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया से सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इस वर्ष जामिया मिलिया इस्लामिया के इस संस्थान से कुल 71 विद्यार्थियों ने सिविल सेवा परीक्षा में भाग लिया था। इस संस्थान द्वारा छात्रों के लिए मुफ्त आवास, शिक्षा, भोजन और पाठ्य सामग्री की भी व्यवस्था की जाती है।

रोजनामा सहारा (17 अप्रैल) के अनुसार सफल मुस्लिम अभ्यर्थियों में 21 महिलाएं शामिल हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के कार्यवाहक उपकुलपति प्रो. इकबाल हुसैन ने बताया कि 2021 की सिविल सेवा परीक्षा में श्रुति शर्मा ने टॉप किया था। उन्हें भी जामिया मिलिया इस्लामिया की आवासीय कोचिंग एकेडमी ने प्रशिक्षण दिया था। इसके अतिरिक्त 2022 में टॉप करने वाली छात्रा इशिता किशोर ने भी इसी संस्थान में प्रशिक्षण लिया था। उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों से इन परीक्षाओं में महिलाओं की भागीदारी में निरंतर

वृद्धि हो रही है। 2018 और 2019 में इनका प्रतिनिधित्व 24 प्रतिशत था, जो 2020 में 29 प्रतिशत तक पहुंच गया। हालांकि, 2021 में घटकर 26 प्रतिशत रह गया। 2022 में यह संख्या 34 प्रतिशत तक पहुंच गया। पिछले साल चुने गए 933 अभ्यर्थियों में से 320 महिलाएं थीं।

इंकलाब (17 अप्रैल) के अनुसार मुस्लिम अभ्यर्थियों की भारी सफलता के कारण मुस्लिम क्षेत्रों में प्रसन्नता व्यक्त की गई है। समाचारपत्र ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में इन प्रतियोगी परीक्षाओं में मुसलमानों की संख्या में जो निरंतर कमी हो रही थी उस पर मुस्लिम नेता चिंता प्रकट कर रहे थे। हालांकि, पिछले साल मुसलमानों के लिए इस देश में माहौल ठीक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम अभ्यर्थियों ने कठोर परिश्रम से भारी संख्या में सफलता प्राप्त की। इस बार के नतीजों में मुस्लिम अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व पांच प्रतिशत रहा है। जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के 51 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद इंटरव्यू दिया था, जिसमें से 24 सफल हुए हैं। फाउंडेशन के प्रमुख डॉ. सैयद जफर महमूद ने कहा कि देश के प्रशासनिक ढांचे में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व तेजी से घट रहा है। यह जरूरी है कि मुसलमान अभ्यर्थी स्थिति की गंभीरता को समझें और पूरी मेहनत से इन परीक्षाओं की तैयारी करें। मुस्लिम अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी गंभीरता से शामिल होना चाहिए, क्योंकि यह जरूरी है कि विभिन्न राज्यों के कर्मचारियों के कैडर में भी मुसलमानों का उचित प्रतिनिधित्व हो ताकि उनके समाज को न्याय मिल सके।

मुंबई उर्दू न्यूज (18 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इस साल सिविल सेवा परीक्षा में 50 से ज्यादा मुस्लिम अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त करके मायूसी की उस धुंध को काफी हद तक छांटने का काम किया है, जो पूरी मुस्लिम कौम पर छाई हुई है। मुसलमान बच्चे शिक्षा से दूर भागते हैं और इसके लिए उनके अभिभावक दोषी हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने के सपने नहीं दिखाते हैं और न ही कौम के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। मुसलमान विद्यार्थियों को इसलिए आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके लिए प्रशिक्षण, अवसर, दिशा-निर्देश और अच्छे स्कूलों की कमी है। समाचारपत्र ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि कुछ मुस्लिम संस्थाएं इन परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रही हैं। इस वर्ष जामिया मिलिया इस्लामिया के 41 विद्यार्थी सफल हुए हैं, जिनमें 23 मुसलमान हैं। यह बेहद जरूरी है कि इन परीक्षाओं में मुस्लिम विद्यार्थी की सफलता के लिए नियमित अभियान चलाया जाए।

एतेमाद (21 अप्रैल) के अनुसार इस साल 10 लाख 16 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लेने के लिए फॉर्म भरे थे। इनमें से मेन्स में 2856 अभ्यर्थी सफल हुए। यह परीक्षा कितनी कठिन है इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल दस लाख परीक्षार्थियों में से सिर्फ 1016 परीक्षार्थी ही इन परीक्षाओं में सफल हुए हैं। इनमें से 664 पुरुष और 352 महिलाएं हैं। समाचारपत्र ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि सिविल सेवा परीक्षाओं में सफल होने वाले मुस्लिम छात्र-छात्राओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। गौरतलब है कि सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इन परीक्षाओं में मुसलमानों के पिछड़ जाने का विशेष रूप से जिक्र किया था। सच्चर कमेटी ने नवंबर 2006 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस समय देश में 3209 आईपीएस अधिकारियों में से मुसलमानों की संख्या केवल 128 है। अब हाल के आंकड़ों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि इन परीक्षाओं में सफल मुस्लिम विद्यार्थियों की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि

वर्तमान समय में मुसलमानों को हर तरीके से और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रखने का प्रयास किया जा रहा है।

उर्दू टाइम्स (18 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इस साल की सिविल सेवा परीक्षा में अब तक के सर्वाधिक मुस्लिम अभ्यर्थी सफल हुए हैं। हालांकि, कुल अभ्यर्थियों में से उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ पांच प्रतिशत के लगभग है। जबकि मुस्लिम जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 14 प्रतिशत है। इससे साफ है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें अभी काफी मेहनत करनी पड़ेगी।

टिप्पणी: देश के प्रशासनिक ढांचे में मुसलमानों के घटते प्रतिनिधित्व पर कई दशकों से चिंता व्यक्त की जा रही है। 1983 में भारत सरकार ने उच्च सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के बारे में अध्ययन करने के लिए डॉ. गोपाल सिंह कमेटी का गठन किया था। इस रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि सिख और ईसाइयों का योगदान देश के प्रशासनिक ढांचे में संतोषजनक है। जबकि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व निरंतर घट रहा है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश में आईएएस अधिकारियों की कुल संख्या 3975 है। इनमें से 165 सिख, 128 मुसलमान और 109 ईसाई हैं। जबकि आईपीएस अधिकारियों की कुल संख्या 2159 है, जिनमें से 117 सिख, 57 मुसलमान और 49 ईसाई हैं। जबकि आईएएस में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 3.22 और आईपीएस में 2.64 है। जबकि देश में मुसलमानों की जनसंख्या 12 प्रतिशत है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1981 से लेकर 2000 तक भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 3.15 प्रतिशत था। जबकि भारतीय पुलिस सेवा में इनका प्रतिनिधित्व 2 प्रतिशत ही था। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर राजेंद्र सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला था कि अखिल भारतीय सेवाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या की तुलना में काफी कम है।

आंकड़ों के अनुसार साल 2016 में सिविल सेवा परीक्षा में सबसे अधिक 52 मुस्लिम अभ्यर्थी सफल हुए थे। जबकि 2009 में 31, 2010 में 21, 2011 में 31, 2012 में 30, 2013 में 34, 2014 में 38, 2015 में 34, 2017 में 50, 2018 में 28, 2019 में 44, 2020 में 31, 2021 में 25 और 2022 में 29 मुस्लिम अभ्यर्थी सफल हुए थे। खास बात यह है कि देश के 10 मुस्लिम संस्थानों द्वारा मुस्लिम अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने हेतु 51 केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें इन मुस्लिम अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त आवास, भोजन एवं पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ-साथ सेवानिवृत्त मुस्लिम उच्चाधिकारी इनके मार्गदर्शक के रूप में अपनी नि:शुल्क सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं। इन प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों को केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का विशेष आर्थिक अनुदान भी दिया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा कानून रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक

मुंबई उर्दू न्यूज (6 अप्रैल) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को रद्द करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मदरसा कानून के प्रावधानों को समझने में गलती की है। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस कानून को

धर्मनिरपेक्षता की मूल भावना के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया था। इसके बाद मदरसा बोर्ड ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इस याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में बहस करते हुए मदरसा बोर्ड के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उच्च न्यायालय को इस कानून को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कानून 120 साल पुराना है और अब इस पर अचानक रोक लगा दिए जाने से मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्र एवं 10 हजार अध्यापक प्रभावित होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय ने मदरसा बोर्ड और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया है। अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें 31 मई तक का समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। तब तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगी रहेगी। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में तर्क देते हुए कहा कि आज गुरुकुल इसलिए मशहूर हैं, क्योंकि वे अच्छा काम कर रहे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में बहुत अच्छे गुरुकुल हैं। यहां तक कि मेरे पिता के पास भी उनमें से एक की डिग्री है। क्या हम यह तर्क दे सकते हैं कि ये गुरुकुल हिंदुओं को धार्मिक शिक्षा देते हैं और क्या हमें इन गुरुकुलों को बंद कर देना चाहिए? उन्होंने कहा कि अगर मदरसा कानून को रद्द कर दिया जाता है तो यह मदरसों पर कुठाराघात होगा। सिंघवी ने कहा कि अगर मैं इस्लाम या हिंदू धर्म के बारे में जानकारी देता हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं धार्मिक शिक्षा देता हूं।

मदरसों की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये संस्थान विभिन्न विषय पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि इन मदरसों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। हां, कुरान को एक विषय के रूप में जरूर पढ़ाया जाता है। वहीं, वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि धार्मिक शिक्षा और धार्मिक विषय अलग-अलग हैं, इसलिए उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाई जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या सरकार ने उच्च न्यायालय में मदरसा कानून का समर्थन किया था? इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अदालत में पेश अतिरिक्त

सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि हां, हमने उच्च न्यायालय में इस कानून का समर्थन किया था, लेकिन जब अदालत ने इसे रद्द कर दिया तो सरकार ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया। अब जबकि राज्य ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया है तो कानूनी लड़ाई पर होने वाले खर्च का बोझ राज्य पर नहीं डाला जा सकता। उन्होंने सवाल किया कि क्या मदरसा कानून की धाराएं धर्मनिरपेक्षता की कसौटी पर खरी उतरती हैं? यह धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है कि इन मदरसों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। हालांकि, यह सरासर गलत है। नटराज ने कहा कि अगर मदरसे चल रहे हैं तो उन्हें चलने दें, मगर उनका खर्च राज्य पर नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मदरसों को सहायता प्रदान करने में 10 अरब 96 करोड़ का वित्तीय बोझ उठाती है।

रोजनामा सहारा (6 अप्रैल) के अनुसार मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा है कि शिक्षा के चयन का जिम्मा हमेशा छात्रों और उनके अभिभावकों के हाथ में रहा है। यह सुनिश्चित करना राज्यों का काम है कि छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रहें। क्या इस उद्देश्य के लिए पूरे कानून को खत्म करने की जरूरत है? पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 धर्मनिरपेक्षता और संविधान के मूलभूत ढांचे के विरुद्ध है, लेकिन उसका यह निष्कर्ष मदरसा बोर्ड को दी गई नियामक शक्तियों के अनुरूप नहीं है।

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि यह मामला काफी उलझा हुआ है और इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने पीठ के सामने कहा कि गुरुकुल और संस्कृत स्कूल पूरे देश में हैं। कर्नाटक के शिमोगा जिले के एक गांव में लोग संस्कृत के अलावा कोई अन्य भाषा नहीं बोलते। क्या इन संस्कृत स्कूलों और गुरुकुलों को सरकार सहायता प्रदान नहीं कर रही है? अगर हम इस्लाम की शिक्षा देते हैं तो हमारे संस्थानों पर धार्मिक शिक्षा देने का आरोप मढ़ दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा है कि वह 31 मई तक अपना जवाबी शपथपत्र दाखिल करे। जबकि याचिकाकर्ताओं को इसका जवाब देने के लिए 30 जून का समय दिया गया है।

रोजनामा सहारा (7 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के मदरसों के लाखों छात्रों और हजारों अध्यापकों ने राहत की सांस ली है। उन्हें यह आशा बंधी है कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा और मदरसों में छात्रों की शिक्षा का सिलसिला पूर्वतः जारी रहेगा। समाचारपत्र ने कहा है कि देश के मुसलमान एक उलझन से निकलने का प्रयास करते हैं तो उनके लिए दूसरी समस्या खड़ी कर दी जाती है। कहीं हिजाब को मुद्दा बना दिया जाता है तो कहीं हलाल मांस को। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद का फैसला आने के बाद मुसलमानों को यह संतोष था कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के रहते उनके किसी उपासना स्थल को विवाद में नहीं घसीटा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विभिन्न अदालतों ने मुसलमानों के उपासना स्थलों का सर्वे कराने का निर्देश जारी किया। इससे मुसलमानों की परेशानी में वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में मदरसों पर विवाद की चर्चा करते हुए समाचारपत्र ने कहा है कि इससे आम मुसलमानों में चिंता पैदा हुई है, क्योंकि स्कूलों के उलट इन मदरसों में बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ उनके आवास और खाने की व्यवस्था भी की जाती है। सच्चाई तो यह है कि इन इस्लामी मदरसों ने देश को शिक्षित बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। यह संतोष की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल इस पर अंतरिम रोक लगा दी है।

उर्दू टाइम्स (7 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में यह दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर किसी व्यक्ति ने मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून को अदालत में चुनौती दी और इसके बाद उच्च न्यायालय ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करके इसे रद्द करने का फरमान जारी कर दिया। इसके साथ ही अध्यापकों को मिलने वाला वेतन भी बंद कर दिया गया। जब इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कान खींचे और कहा कि मदरसा कानून को समझे बिना उसने इसे अवैध घोषित किया है। इस फैसले से योगी सरकार के मुंह पर भी करारा तमाचा लगा है। मदरसों के बारे में योगी आदित्यनाथ के सभी मंसूबों पर पानी फिर गया है, वरना उनकी तो पूरी तैयारी हो चुकी थी कि सभी मदरसों पर ताले लगा दिए जाएं और मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कर लिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को उसकी संवैधानिक जिम्मेवारी बताते हुए कहा कि भारतीय संविधान की धारा 14 के तहत हर धर्मावलंबी को अपने धर्म की शिक्षा देने की पूरी आजादी है।

मुंबई उर्दू न्यूज (3 अप्रैल) ने मदरसों के प्रबंधकों को यह मशवरा दिया है कि वे अपने मदरसों में उच्चस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करें, क्योंकि सरकार बाल अधिकारों के संरक्षण का बहाना बनाकर उनके काम-काज में हस्तक्षेप कर सकती है। इन मदरसों में दीन के साथ-साथ आधुनिक विषय भी पढ़ाया जाना जरूरी है।

एतेमाद (5 अप्रैल) ने कहा है कि मदरसे इस्लाम और दीन के किले हैं, इसलिए भाजपा की सरकारें मदरसों को खत्म करने की सुनियोजित साजिश कर रही हैं। असम में मदरसों को गैरकानूनी घोषित करके उन पर बुलडोजर चला दिया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार अदालतों का सहारा लेकर मदरसों को बंद करवाने के प्रयास में लगी हुई है। भाजपा के नेताओं का कहना है कि इस्लामी मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करने की जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है उसका लक्ष्य मुस्लिम छात्रों को आधुनिक शिक्षा देना है और इससे मुस्लिम समाज को लाभ पहुंचेगा। जबकि मुस्लिम नेताओं का कहना है कि देश के इस्लामी मदरसों में पहले से ही भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित और कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि इस देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। 2014 में जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार हिंदुत्व के एजेंडे के साथ सत्ता में आई है तब से मुस्लिम विरोधी भावनाओं में भारी वृद्धि हुई है। खास बात यह है कि अदालत का यह फैसला उस समय आया है जब देश में आम चुनाव की धमक शुरू हो चुकी है। मदरसा विरोधी अभियान का उद्देश्य आने वाले चुनावों में वोटों का ध्रुवीकरण करना है।

उर्दू टाइम्स (7 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि मदरसों के लाखों छात्रों और हजारों अध्यापकों

के भविष्य पर लटक रही तलवार फिलहाल के लिए टल गई है।

अखबार-ए-मशरिक (7 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि उर्दू विकास संगठन के अध्यक्ष डॉ. सैयद अहमद खान ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि अदालत ने अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के छात्रों के बुनियादी अधिकार को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के मुस्लिम छात्र तो दिखाई देते हैं, लेकिन उसे गुरुकुल और सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाले हिंदू बच्चे नहीं दिखाई देते, जिनमें लाखों बच्चों को वेद और पुराण की शिक्षा दी जाती है।

मुंबई उर्दू न्यूज (5 अप्रैल) ने यह आरोप लगाया है कि अब महाराष्ट्र सरकार ने भी मदरसों का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। हालांकि, समाजवादी पार्टी ने इसके विरोध में आवाज बुलंद की है। पार्टी के विधायक रईस शेख ने कहा है कि इस सर्वे से पहले मुस्लिम समाज से कोई मशवरा नहीं लिया गया और इसके लिए रमजान के पवित्र महीने को जानबूझकर चुना गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के मदरसों में दीनी और आधुनिक शिक्षा दिए जाने की भी व्यवस्था है।

ज्ञानवापी में पूजा और भोजशाला के सर्वे पर रोक लगाने से सर्वोच्च न्यायालय का इंकार

औरंगाबाद टाइम्स (3 अप्रैल) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा और धार स्थित भोजशाला की कमाल मौला मस्जिद में पुरातत्व विभाग के सर्वे पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। समाचारपत्र का कहना है कि अदालत के इस फैसले से मुसलमानों को भारी निराशा हुई है। गौरतलब है कि वाराणसी स्थित ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की अनुमति देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को मस्जिद की प्रबंध कमेटी ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय में इस याचिका की सुनवाई के दौरान मस्जिद प्रबंध समिति के वकील

हुजैफा अहमदी ने कहा कि निचली अदालत ने पूजा की तैयारी के लिए प्रशासन को एक सप्ताह का समय दिया था, लेकिन अदालत के फैसले के दिन ही रातोंरात ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा-अर्चना शुरू करवा दी गई। हम इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में गए थे, लेकिन वहां हमें कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि ज्ञानवापी के तहखाने में हो रही पूजा पर रोक लगाई जाए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि तहखाने में प्रवेश का मार्ग दक्षिण दिशा में है। जबकि मस्जिद में प्रवेश का मार्ग उत्तर दिशा में है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम यह निर्देश देते हैं कि फिलहाल दोनों स्थानों पर पूजा जारी रहे।

हिंदुस्तान (2 अप्रैल) का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का अर्थ यह है कि ज्ञानवापी के तहखाने में 31 जनवरी और एक फरवरी को शुरू हुआ पूजा-अर्चना का सिलसिला जारी रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि उसकी अनुमति के बिना इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के न्यासियों और अन्य पक्षों से 30 अप्रैल तक जवाब मांगा है। इससे पहले 31 जनवरी को वाराणसी की जिला अदालत ने 30 साल पहले तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा-अर्चना पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया था। मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन उच्च न्यायालय ने पूजा-अर्चना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। इसके बाद मुस्लिम पक्ष सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिला अदालत के 17 जनवरी और 31 जनवरी के निर्देश के बाद भी मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी परिसर में बिना किसी रुकावट के नमाज अदा कर रहा है। जबकि हिंदू पक्ष को दी जाने वाली अनुमति केवल तहखाने तक ही सीमित है, इसलिए यह उचित होगा कि यथास्थिति को बरकरार रखा जाए ताकि दोनों समुदाय अपनी-अपनी धार्मिक पूजा करते रहें।

इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में बहस के दौरान पीठ ने पूछा कि क्या ज्ञानवापी के तहखाने में अब भी पूजा हो रही है? इस पर मस्जिद प्रबंध समिति के वकील ने कहा कि 31 जनवरी से वहां पर पूजा हो रही है। इस पर फौरन पाबंदी लगानी चाहिए, वरना बाद में यह तर्क दिया जाएगा कि वहां पर काफी अवधि से पूजा-अर्चना हो रही है। अगर पूजा की अनुमति जारी रही तो इससे अनेक समस्याएं पैदा होंगी। वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि यह मस्जिद का परिसर है, इसलिए तहखाने में पूजा इस्लाम के खिलाफ है। इस पर पीठ ने कहा कि वहां पर दो ताले लगे हुए थे। ये ताले कहां पर हैं? अहमदी ने कहा कि अगर हम यह मान भी लें कि तहखाने पर हिंदुओं का कब्जा था तो उन्होंने पिछले 30 सालों तक पूजा को जारी रखने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? 30 साल की अवधि के बाद अंतरिम राहत दिए जाने का क्या आधार है?

इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि दूसरा ताला किसने खोला था? क्या जिलाधिकारी ने? इस पर वकील ने कहा कि उन्हें इस आदेश को लागू करने के लिए अदालत की ओर से एक सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने आनन-फानन में लोहे का कटर मंगवाकर रास्ते में लगी सभी रुकावटें दूर कर दीं। इसके बाद ताले वगैरह खोले गए और वहां पर पूजा-अर्चना शुरू करवा दी गई। वकील ने दावा किया कि तहखाने में पहले पूजा की कोई परंपरा नहीं थी। इस फैसले से विवाद बढ़ेगा और हिंसा भड़क सकती है। मुकदमे के दौरान हिंदू पक्ष ने यह स्वीकार किया है कि 1993 से लेकर 2023 तक तहखाने में ताला लगा हुआ था और वहां पूजा नहीं की जा रही थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या

तहखाने और मस्जिद में जाने का एक ही रास्ता है? इस पर वकील ने कहा कि तहखाने का रास्ता दक्षिण में है। जबकि मस्जिद का रास्ता उत्तर में है।

मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि जिलाधिकारी का कहना है कि दूसरा ताला राज्य सरकार का था। इस पर वकील ने कहा कि यह सच है कि 1993 तक वहां पर उन्हीं का कब्जा था। 1993 में राज्य सरकार ने तहखाने में पूजा-अर्चना पर रोक लगाकर वहां पर ताला लगा दिया। अदालत के निर्देश पर जिलाधिकारी ने सरकारी ताला खोल दिया। जबकि पहले ताले की चाभी पहले से ही व्यास परिवार के पास थी। मस्जिद कमेटी की वकील ने शिकायत की कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के न्यासियों ने बिना एक सप्ताह इंतजार किए रातोंरात तहखाने में पूजा-अर्चना शुरू कर दी। वकील ने कहा कि यह जिला अदालत का अन्यायपूर्ण आदेश था।

वकील ने आगे कहा कि यह कहना गलत है कि तहखाने का दरवाजा अलग है और मस्जिद परिसर अलग। यह भी गलत है कि जब हम व्यास तहखाने में दाखिल होते हैं तो हम मस्जिद में दाखिल नहीं होते। यह कोई मंदिर नहीं है। इस परिसर में दिन में पांच बार नमाज अदा की जाती है। बाई ओर एक बड़े मंदिर का परिसर है जहां पर प्राचीन काल से ही पूजा की जाती रही है। सैकड़ों सालों से मंदिर और मस्जिद साथ-साथ खड़े हैं। अब तहखाने में पूजा करने पर क्यों जोर दिया जा रहा है? वकील ने शिकायत की कि हम धीरे-धीरे टुकड़े-टुकड़े में मस्जिद को खो रहे हैं। वजूखाना जो सदियों से मौजूद था अब उस पर भी ताला लगा हुआ है। तहखाने में कोई मंदिर या मूर्ति नहीं मिली है। अदालत को हमें संरक्षण प्रदान करना चाहिए। इतिहास से हमें सीख मिलती है कि अयोध्या में क्या हुआ था। सरकारी आश्वासन के बावजूद देखते ही देखते मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया।

गौरतलब है कि वाराणसी की जिला अदालत में हिंदू पक्ष ने यह दावा किया था कि नवंबर 1993 से पहले व्यासजी के तहखाने में पूजा-अर्चना होती थी, लेकिन बाद में तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का हवाला देते हुए मंदिर कमेटी की याचिका को रद्द करने की मांग की थी, मगर अदालत ने इसे अस्वीकार करते हुए व्यासजी के तहखाने में पूजा करने की अनुमति हिंदू पक्ष को दे दी।

मुंबई उर्दू न्यूज (2 अप्रैल) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने धार स्थित भोजशाला एवं कमाल मौला मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद अदालत की अनुमति के बिना कोई अगली कार्रवाई न हो। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के जिला धार में 11वीं शताब्दी का एक ऐतिहासिक भवन है, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। हिंदू इसे वाग्देवी (सरस्वती देवी) का मंदिर मानते हैं। जबकि मुसलमानों का दावा है कि यह कमाल मौला मस्जिद है। भारतीय पुरातत्व विभाग के 7 अप्रैल 2003 के आदेश के अनुसार हिंदुओं को हर मंगलवार को भोजशाला परिसर के अंदर पूजा करने की अनुमति है।

जबकि मुसलमानों को हर शुक्रवार (जुमा) को नमाज अदा करने की अनुमति है। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और एएसआई को मौलाना कमालुद्दीन वेल्फेयर सोसाइटी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 11 मार्च के वैज्ञानिक सर्वेक्षण से संबंधित आदेश को चुनौती दी गई थी। पीठ ने चार सप्ताह के भीतर संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है और यह भी निर्देश दिया है कि सर्वे रिपोर्ट का जो भी नतीजा निकलेगा उस पर सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के बिना कोई अगली कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अखबार-ए-मशरिक (3 अप्रैल) ने आरोप लगाया है कि बाबरी मस्जिद के कब्जे से लेकर भोजशाला के कमाल मौला मस्जिद तक भगवा साजिश का एक ही पैटर्न रहा है और वह है पहले अवैध कब्जा करना, फिर झूठे प्रमाण बनाना, फिर इस पर हंगामा करने के बाद सर्वे करवाना और फिर उसे अदालत के रास्ते से हथिया लेना। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में भी भगवा परिवार ने यही तरीका अपनाया है। पिछले कुछ दिनों से भोजशाला की इस इमारत को लेकर विभिन्न पक्षों में विवाद चल रहा है। एक याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि इस परिसर में जारी सर्वे के अनुसार भोजशाला के एक तहखाने में हिंदू प्रतीक चिन्ह पाए गए हैं, जिसे मुस्लिम पक्ष ने निराधार करार दिया है। हिंदू समुदाय के पक्षकार कुलदीप तिवारी ने संवाददाताओं से बातचीत में यह दावा किया है कि एसएसआई के सर्वे के दौरान हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह जैसे अष्ट वक्र कमल, संस्कृत के शिलालेख, शंख, हवन कुंड के अतिरिक्त भगवान हनुमान की मूर्तियां भी मिली हैं। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि भोजशाला एक हिंदू मंदिर है। उनके इस दावे पर टिप्पणी करते हुए मौलाना कमालुद्दीन वेल्फेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल समद खान ने आरोप लगाया कि हिंदू पक्ष जानबूझकर झूठे दावे करके भ्रांति पैदा कर रहा है।

अखबार-ए-मशरिक (3 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अयोध्या विवाद मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जब बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का फैसला सुनाया तो सांप्रदायिक तत्वों की बांछे खिल गईं और यह कहा जाने लगा कि 'अयोध्या तो झांकी है, काशी-मथुरा बाकी है'। देश में बढ़ते हुए धार्मिक तनाव को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार ने 1991 में संसद में एक कानून बनाया था, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि 1947 में जिस उपासना स्थल की जो स्थिति थी वही बरकरार रहेगी। तब यह ख्याल था कि इस कानून की वजह से धार्मिक विवादों का सिलसिला खत्म हो जाएगा, लेकिन अब देश की विभिन्न अदालतें विवादित उपासना स्थलों से संबंधित याचिकाओं को स्वीकार करके उस पर विचार कर रही हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी के मामले में जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी थी और अब वहां पर पूजा-अर्चना जारी है। इस पर मुस्लिम पक्ष ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से इस पूजा पर पाबंदी लगाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में मस्जिद की प्रबंध समिति के वकीलों ने यह आरोप लगाया है कि पहले मस्जिद के वजूखाने से शिवलिंग बरामद होने का शोशा छोड़ा गया था और अब मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी गई है। इसका लक्ष्य धीरे-धीरे ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जा करना है। मस्जिद कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि ज्ञानवापी का पूरा परिसर वक्फ संपत्ति है और इसका हश्र भी बाबरी मस्जिद जैसा ही होने वाला है। अदालतों में तारीख पर तारीख का सिलसिला जारी रहेगा। बाबरी मस्जिद को आस्था का सहारा लेकर हिंदुओं के हवाले कर दिया गया। अब यही नीति

ज्ञानवापी, मथुरा की ईदगाह और भोजशाला के मामले में भी अपनाई जा रही है, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं।

जदीद मरकज (9 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुसलमानों को देश का कानून मानना होगा। शरीयत संविधान से बड़ी नहीं है। देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। उन्होंने यह भी कहा है कि हम देश की सुरक्षा और हिंदू आस्था से कोई समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर की मेहरबानी और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। अव्वल तो यह कोई कहता नहीं कि शरीयत देश और संविधान से ऊपर है, मगर इससे हटकर चलने का काम तो आरएसएस और भाजपा ही करती है। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव से पहले मुसलमानों ने हर तरह की ज्यादती सहने के बावजूद चुप रहकर भाजपा को आम हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने का कोई अवसर नहीं दिया है।

समाचारपत्र ने पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री के कहने का यह मतलब है कि अगर वे भगवान की कृपा और जनता के आशीर्वाद से सत्ता में हैं तो मनमानी करेंगे? सरकार मुसलमानों के साथ समान व्यवहार नहीं कर रही है। फिर संविधान और कानून को सिर्फ मुसलमानों पर ही थोपना कहां तक जायज है? देश का एक वर्ग अगर किसी बात पर प्रदर्शन करता है तो उन पर लाठी और गोली चलेगी। जबकि दूसरा वर्ग कांवड़ लेकर चलेगा तो सरकारी हेलीकॉप्टर से उन पर फूल बरसाए जाएंगे। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य के मदरसा शिक्षा कानून को एक झटके में ही खत्म कर दिया है। अब यह अदालत का निर्णय है, इसलिए उसका सम्मान करना हम सबकी जिम्मेवारी है। हालांकि, कुछ सवाल तो उठते ही हैं। पहला यह कि 20 साल पहले विधानसभा द्वारा पारित एक कानून को कैसे रद्द किया जा सकता है? कानून बनाने का काम तो विधानसभा और संसद का ही होता है। अगर कुछ मदरसों में गड़बड़ियां हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, लेकिन यहां तो इलाज करने के बजाय मरीज को जहर का इंजेक्शन देने की बात हो गई है।

अब मुख्यमंत्री योगी के बयान को ही ले लें। उन्होंने कहा है कि हम हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, शायद इसीलिए हम मुसलमानों के दिलों में जगह नहीं बना पाए। यह मुस्लिम समाज पर बहुत बड़ा और गैरजिम्मेवाराना आरोप है। मुसलमान यह कभी नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति या पार्टी किसी भी आस्था के साथ खिलवाड़ करे और न ही वह अपनी आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने की अनुमति दे सकता है।

हज के किराए में कटौती

सहाफत (15 अप्रैल) के अनुसार हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हाजियों के लिए हवाई जहाज के किराए में भारी कटौती की घोषणा की है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लियाकत अली आफाकी ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल अहमदाबाद से मदीना रवाना होने वाले हाजियों से हवाई जहाज के निर्धारित किराए से 45 हजार रुपये कम वसूले जाएंगे। जबकि नागपुर से रवाना होने वाले हाजियों के किराए में 30 हजार रुपये की कटौती की गई है। वहीं, लखनऊ से रवाना होने वाले हाजियों के किराए में 26 हजार, कोच्चि से रवाना होने वाले हाजियों के किराए में 22 हजार, कोलकाता से रवाना होने वाले हाजियों के किराए में 21 हजार, दिल्ली से रवाना होने वाले हाजियों के किराए में 20 हजार और चेन्नई से रवाना होने वाले हाजियों के किराए में छह हजार रुपये की कटौती की गई है।

आफाकी ने कहा कि भारत से हाजियों के जहाजों की पहली उड़ान नौ मई को मदीना के लिए होगी। उन्होंने कहा कि हाजियों के किराए में कटौती का श्रेय केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी को जाता है। वह पहली केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं, जिन्होंने हज से पहले सऊदी अरब का दौरा करके वहां की सरकार द्वारा भारतीय हाजियों को दी जाने वाली सुविधाओं का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया था। स्मृति ईरानी के अनुरोध पर सऊदी सरकार ने भारतीय हाजियों को मक्का में काबा के नजदीकी आवासीय भवनों और होटलों में ठहराने की व्यवस्था की है। उनके हस्तक्षेप के कारण सऊदी सरकार ने भारतीय हाजियों के आवासीय खर्चे और भोजन के खर्चे में भी कटौती करने का आश्वासन दिया है। इससे भारतीय हाजियों को बहुत लाभ होगा।

लियाकत अली आफाकी ने दावा किया कि इस बार सबसे कम खर्च दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद से हज करने के इच्छुक व्यक्तियों को वहन करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार के अनुरोध पर सऊदी सरकार ने भारत के हाजियों के कोटे में वृद्धि की

है। इस बार पौने दो लाख भारतीयों के हज करने की संभावना है। इसके अतिरिक्त स्मृति ईरानी के अनुरोध पर सऊदी सरकार ने उमरा अदा करने के इच्छुक भारतीयों को वीजा फीस से मुक्त कर दिया है। इससे भी लाखों भारतीयों को लाभ होगा।

हमारा समाज (17 अप्रैल) के अनुसार उत्तर प्रदेश के हज प्रशिक्षण केंद्र के प्रमुख हाजी नूर मोहम्मद कुरैशी ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हज के लिए जाने वाले हाजियों को 3 लाख 30 हजार 100 रुपये की धनराशि खर्च करनी होगी। इसमें कुर्बानी की 93480 रुपये की धनराशि शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी हज यात्रियों को 27 अप्रैल तक तीसरी किस्त की धनराशि जमा करवानी होगी। जो लोग कुफा की यात्रा करना चाहते हैं उन्हें अतिरिक्त 4 हजार रुपये अदा करना होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों को दिल्ली हवाई अड्डे से विमान में सवार होना होगा। अगर किसी के पास तीसरी किस्त की रसीद नहीं होगी तो उन्हें हवाई जहाज में सवार होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के छह क्षेत्रों के हाजियों को लखनऊ से रवाना होना पड़ेगा।

चुनावों के बाद असम में बहुपत्नी प्रथा पर प्रतिबंध

सहाफत (14 अप्रैल) के अनुसार असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि चुनाव के बाद वे असम में बहुपत्नी प्रथा पर प्रतिबंध लगाएंगे। इसके अतिरिक्त राज्य में समान नागरिक संहिता को भी लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस्लामी मदरसों की शिक्षा से मुसलमानों की नई पीढ़ी को कोई लाभ नहीं हो रहा है। हम उन्हें इमाम और मौलवी बनाने के बजाय डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। उन्हें ऐसी दकियानूसी शिक्षा की जरूरत नहीं है जिससे उनके विकास के मार्ग अवरुद्ध हो जाएं। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति वोटों का ध्रुवीकरण करता है तो हमें भी जरूर करना चाहिए। मुसलमानों से वोट न मांगने

के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि मैं किससे वोट मांगूं या किससे नहीं यह मेरा अधिकार है। जब मैं जानता हूं कि एक विशेष वर्ग मुझे वोट नहीं देगा तो मैं वहां जाकर अपना समय क्यों बर्बाद करूं।

असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में लोकसभा की 25 सीटें हैं। मुझे यह विश्वास है कि इनमें से 22 सीटों पर निश्चित रूप से एनडीए के उम्मीदवार ही जीतेंगे। इनमें से 15-16 सीटें भाजपा को मिलेंगी और शेष पर गठबंधन के उम्मीदवार सफल होंगे। मेरे लिए असम में ध्रुवीकरण जरूरी है। यह सत्ता में रहने के लिए नहीं, बल्कि इस बात को सुनिश्चित बनाने के लिए कि असम के हमारे स्थानीय लोग राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में विकास कर सकें और हमारे अस्तित्व को किसी तरह का खतरा न हो। जब 36 प्रतिशत लोग किसी राज्य में घुसपैठ करते हों और उस राज्य के मूल निवासी अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बन जाते हों तो उसको रोकने के लिए हमें भी कदम उठाने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लागू होने की क्या प्रतिक्रिया हो रही है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इस्लामी मदरसे बंद करना चाहते हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि सरकार के अनुदान पर चलने वाले मदरसे तो बंद हो चुके हैं। अब हम इस पर विचार कर रहे हैं कि निजी साधनों से चलने वाले मदरसों को भी कैसे बंद किया जाए ताकि मुसलमान मुख्यधारा में शामिल होकर समाज के अन्य वर्गों के साथ विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। हां, अगर कोई दीनी शिक्षा लेना चाहता है तो वह अपने घर में या निजी तौर पर ले सकता है।

जब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से पूछा गया कि आपने पहले कहा था कि आपको मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा कहता आ रहा हूं कि जो वर्ग आपको वोट नहीं देता उससे वोट मांगने का क्या फायदा। हो सकता है कि एक समय ऐसा आए कि यह वर्ग खुद ही हमें वोट देना शुरू कर दे। मैं किसी को वोट देने के लिए विवश नहीं कर सकता। वैसे कई हिंदू बहुल क्षेत्र भी ऐसे हैं जो हमें वोट नहीं देते, इसलिए मैं वहां भी नहीं जाता हूं। हमें उन लोगों का सम्मान करना होगा जो हमें वोट देते हैं। 2021 में मैंने कहा था कि वे अभी हमें वोट नहीं देंगे, लेकिन पिछले तीन सालों में हमने मुस्लिम महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य किए हैं। इसके कारण उन्होंने भाजपा को वोट देना शुरू किया है। आशा है कि अभी इसमें और भी वृद्धि होगी।

बलूचिस्तान में अपहरण के बाद नौ पंजाबी यात्रियों की हत्या

अवधनामा (14 अप्रैल) के अनुसार बलूचिस्तान के जिला नुश्की में कुछ अज्ञात हमलावरों ने बस से उतारकर नौ पंजाबी यात्रियों की हत्या कर दी है। यह संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि इस हत्याकांड के पीछे बलूच लिबरेशन आर्मी का हाथ है। पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' के अनुसार बलूचिस्तान के जिला नुश्की के उपायुक्त हबीबुल्लाह मुसाखेल ने बताया कि 12 अप्रैल की रात को एक दर्जन से अधिक सशस्त्र हमलावरों ने नुश्की-ताफ्तान राजमार्ग पर सुल्तान चरहाई कस्बे के समीप सड़क को अवरुद्ध कर दिया और बसों के यात्रियों की जांच करने लगे। फिर इन्होंने ताफ्तान जाने वाली एक बस को रोक दिया और यात्रियों से उनके पहचान पत्र मांगे। इसके बाद इन सशस्त्र हमलावरों ने इस बस में सवार नौ पंजाबी यात्रियों का अपहरण कर लिया। बाद में इन लोगों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। सुल्तान चरहाई के थाना प्रभारी असद मेंगल ने बताया कि इन सशस्त्र हमलावरों ने रास्ते में सेना और पुलिस चौकियों पर भी रॉकेटों से हमला किया था, जिनसे इन चौकियों को नुकसान पहुंचा और कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए।

नुश्की के उपायुक्त ने संवाददाताओं को बताया कि इस घटना की सूचना मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस और सेना घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस को घटनास्थल से कुछ दूर एक पुल के नीचे पांच शव मिले, जो इस बस में यात्रा करने वाले पंजाबी नागरिकों के थे। सिविल अस्पताल नुश्की के चिकित्सा अधीक्षक जफर मेंगल ने बताया कि इन सभी लोगों को गोलियों से भूना गया है। इन यात्रियों के सिर और सीने पर गोलियां मारी गई थीं। मरने वाले मजदूर थे, जो ताफ्तान के रास्ते ईरान में मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। जिले के पुलिस आयुक्त ने बताया कि उसी रात को इन सशस्त्र हमलावरों ने स्थानीय विधायक गुलाम दस्तगीर बादिनी के भाई की गाड़ी पर भी फायरिंग की थी। फायरिंग से टायर फट जाने के कारण गाड़ी पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति मौके पर मारा गया। जबकि चार घायल हो गए।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि इसके दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार आतंकियों को जड़ से खत्म करके ही दम लेगी। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने कहा कि इस घटना के पीछे बलूच आतंकवादियों का हाथ है। उन्होंने कहा कि इस घटना में आतंकियों ने नौ पंजाबी मजदूरों के अतिरिक्त दो अन्य लोगों को भी गोलियों से भून दिया है। हम आतंकियों का सुराग लगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने इस आतंकी हमले में मरने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है और कहा है कि पाकिस्तान दुश्मन पाकिस्तान में रहने वाले विभिन्न वर्गों को आपस में लड़वाने की साजिश रच रहे हैं। यह हमला इसी साजिश का नतीजा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों में नफरत बांटने वालों का नामोनिशान मिटा दिया जाएगा।

एक अन्य समाचार के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में दो सैनिक मौके पर मारे गए। जबकि एक आतंकी को गोली से भून दिया गया और दो को घायलावस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी सेना के लोक संपर्क विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार यह ऑपरेशन गुप्तचर सूत्रों से मिली जानकारी के बाद किया गया था। मरने वाले आतंकी की पहचान सलीम के रूप में हुई है। इस बयान में यह भी दावा किया गया है कि सलीम नामक यह आतंकी काफी समय से मासूम पाकिस्तानियों को गोलियों का निशाना बना रहा था। सेना ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 50 लाख रुपये के इनाम की घोषणा कर रखी थी। पाकिस्तानी सेना के बयान के अनुसार आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में पाकिस्तानी सेना के लांस हवलदार मुदस्सर महमूद और लांस नायक हसीब जावेद मारे गए। सिंध के राज्यपाल कामरान टेसोरी ने इस सैन्य ऑपरेशन की कामयाबी के लिए पाकिस्तानी सेना को बधाई दी है और आशा व्यक्त की है कि उनका यह अभियान जारी रहेगा।

बीबीसी के अनुसार नुश्की में हुए हमले में 11 लोग मारे गए हैं और 5 घायल हुए हैं। नुश्की के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्लाह बख्श ने बताया कि यह घटना नुश्की शहर से छह किलोमीटर दूर घटी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक यात्रियों का संबंध पंजाब के जिला मंडी बहाउद्दीन और गुजरात से था। उन्होंने कहा कि इन आतंकियों ने एक अन्य बस को भी रोकने की कोशिश की थी। जब चालक ने बस नहीं रोकी तो उन्होंने इस बस पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसके कारण बस के टायर फट गए और वह एक खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में दो व्यक्ति मौके पर मारे गए और पांच घायल हो गए। मरने वालों का संबंध बलूचिस्तान के जिला नुश्की से था।

एक अन्य घटना में आतंकियों ने यात्रियों से भरे हुए एक ट्रक पर हमला किया। इस घटना में 17 यात्री मारे गए और 40 से अधिक घायल हो गए। मृतकों का संबंध सिंध के जिला थट्टा से है। थट्टा के पुलिस आयुक्त ने बताया कि ये यात्री जिला खुजदार में स्थित एक दरगाह शाह नूरानी की जियारत करने के लिए जा रहे थे। घायलों को इलाज के लिए कराची भेज दिया गया है। ■

अब बांग्लादेश में भी 'इंडिया आउट' का नारा

उर्दू टाइम्स (7 अप्रैल) के अनुसार मालदीव के बाद अब बांग्लादेश में भी विपक्ष की ओर से 'इंडिया आउट' अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। इन नेताओं ने बांग्लादेश की जनता से अपील की है कि वे भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करें। यह अभियान एक संगठन 'पीपुल्स एक्टिविस्ट कोएलिशन' की ओर से चलाया जा रहा है। इस अभियान पर कटाक्ष करते हुए

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि मेरा सवाल यह है कि जो लोग भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं उनकी पत्नियों के पास भारत में बनी हुई कितनी साड़ियां हैं? क्या वे अपनी पत्नियों से इन भारतीय साड़ियों को लेकर उन्हें जलाने की हिम्मत करेंगे? एक रैली को संबोधित करते हुए शेख हसीना ने कहा कि विपक्षी नेताओं के घरों में भारत से आने वाले गरम मसाले, प्याज, लहसुन और अन्य उत्पाद नजर नहीं आने चाहिए। उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में थी तो उसके मंत्री और उनकी पत्नियां विशेष रूप से भारत जाते थे और वहां से साड़ियों को खरीदकर उन्हें बांग्लादेश में बेचते थे। अब उन्हें भारतीय वस्तुओं का बहिष्कार करने की याद आई है।

हिंदुस्तान (3 अप्रैल) ने कहा है कि 'इंडिया आउट' का अभियान बांग्लादेश में हुए चुनावों में हार के बाद विपक्ष ने शुरू की है। गौरतलब है कि पिछले साल भारत के एक अन्य पड़ोसी देश मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू ने भारत समर्थक इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को 'इंडिया आउट' नारे के नाम पर चुनावों में पराजित किया था। इसके बाद राष्ट्रपति मुइज्जू ने चीन के साथ संबंध बढ़ाने का अभियान शुरू किया और भारत को मालदीव से अपने सैनिकों को हटाने के लिए मजबूर किया। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में 'इंडिया आउट' का यह अभियान जोर पकड़ सकता है? हालांकि, विपक्षी दल ने इस अभियान के प्रेरक रिजवी का समर्थन किया है, मगर अभी तक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इस मुद्दे पर कोई विधिवत नीति की घोषणा नहीं कर पाई है।

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के मीडिया प्रमुख शैरुल कबीर खान ने कहा है कि हमारी पार्टी की नीति निर्धारण कमेटी में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है, लेकिन हम अभी तक इस संबंध में कोई विधिवत फैसला नहीं ले पाए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें सच्चाई है कि यह अभियान कुछ लोगों ने शुरू किया है और हमारी पार्टी के कुछ नेता इसका समर्थन भी कर रहे हैं। दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सांसद जवाहर सरकार ने बांग्लादेश में शुरू किए गए इस अभियान पर चिंता प्रकट की है। उन्होंने इस अभियान की चर्चा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा है, "हर पड़ोसी देश भारत से नाराज है। पाकिस्तान आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है। चीन समर्थक नेपाल भारतीय गुंडागर्दी से नफरत करता है। श्रीलंका के साथ भी भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। मालदीव ने हमें

लात मारकर अपने देश से बाहर निकाल दिया है। भूटान चीन की ओर झुक रहा है और अब बांग्लादेश में भी इंडिया आउट अभियान की शुरुआत हो गई है।"

अमेरिका में रहने वाले एक बांग्लादेशी पत्रकार मुश्फिकुल फजल अंसारी ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से एक सवाल पूछा, "बांग्लादेश में इंडिया आउट का अभियान दिन-प्रतिदिन जोर पकड़ रहा है। लोग भारतीय उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं। उनकी यह धारणा है कि भारत परोक्ष रूप से शेख हसीना को सत्तारूढ़ रखने के लिए काम कर रहा है। आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं?" इस पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "हमारे पास इस अभियान के बारे में सूचनाएं हैं, लेकिन हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। चाहे वह बांग्लादेश में हो या फिर दुनिया के किसी अन्य हिस्से में। हम भारत और बांग्लादेश दोनों से दोस्ताना संबंधों के पक्षधर हैं और हम इन दोनों देशों की सरकारों के साथ मिलजुलकर काम करते रहेंगे।"

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर संजय भारद्वाज ने बताया कि मालदीव के 'इंडिया आउट' अभियान का बांग्लादेश के अभियान से तुलना नहीं की जा सकती है। मालदीव एक छोटा सा देश है, जहां की अधिकांश आबादी सुन्नी मुसलमान है। जबकि इसकी तुलना में बांग्लादेश बहुत बड़ा है। यहां पर हिंदू जनसंख्या भी ठीक ठाक है। उन्होंने कहा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को इस अभियान के कारण चुनाव में सफलता नहीं मिली थी। उन्हें विपक्षी उम्मीदवार की पार्टी के आंतरिक मतभेदों के कारण सफलता मिली थी। हालांकि, यह सच है कि पिछले एक दशक से चीन मालदीव में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि अब मालदीव के राष्ट्रपति को भी स्थिति का अहसास हो रहा है। जब उनके एक मंत्री ने भारत के खिलाफ बयान दिया तो उन्होंने उसका गंभीरता से नोटिस लिया और उस मंत्री को अपने भारत विरोधी बयान को वापस लेना पड़ा। संजय भारद्वाज ने कहा कि जहां तक बांग्लादेश का सवाल है वह तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है। जबकि चौथी ओर बंगाल की खाड़ी है। दोनों देशों की संस्कृति एक जैसी है। दोनों ओर बांग्लाभाषी रहते हैं, जिन्में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हैं। इनके बीच शादी-विवाह के रिश्ते भी हैं। वे एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। बांग्लादेश की जनता अगर कोलकाता में खरीदारी नहीं करती है तो उसे ईद में मजा नहीं आता है। अर्थव्यवस्था के मामले में भी बांग्लादेश भारत पर निर्भर है।

उर्दू टाइम्स (7 अप्रैल) के अनुसार प्रो. संजय भारद्वाज ने कहा कि अगर बांग्लादेश भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करता है तो वहां पर महंगाई में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी, जैसे कि पाकिस्तान को भारत से व्यापारिक रिश्तों को तोड़ने की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। खाने के मसालों से लेकर दवाईयों तक बांग्लादेश भारत पर निर्भर है। यहां तक कि प्याज, लहसुन, नारियल तेल, खाद्य तेल इत्यादि भी उसे भारत से ही लेना पड़ता है। यह सिर्फ कपड़े के बहिष्कार की बात नहीं है कि उससे काम चल जाए। प्रो. संजय ने कहा कि हालांकि, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है। वहां पर चीन और जापान के सहयोग से बुनियादी ढांचे को विकसित किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए सारा सामान भी भारत से ही जाता है। अब बहिष्कार का कोई महत्व नहीं रहा है। जो लोग यह अभियान चला रहे हैं वे बांग्लादेश में कोई हैसियत नहीं रखते हैं। यहां तक कि विपक्षी दल भी उनके इस अभियान के साथ खुले तौर पर नहीं हैं, क्योंकि वे यह भलीभांति जानते हैं कि उनके लिए यह अभियान उलटा भी पड़ सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4100 किलोमीटर की लंबी सीमा है। इन

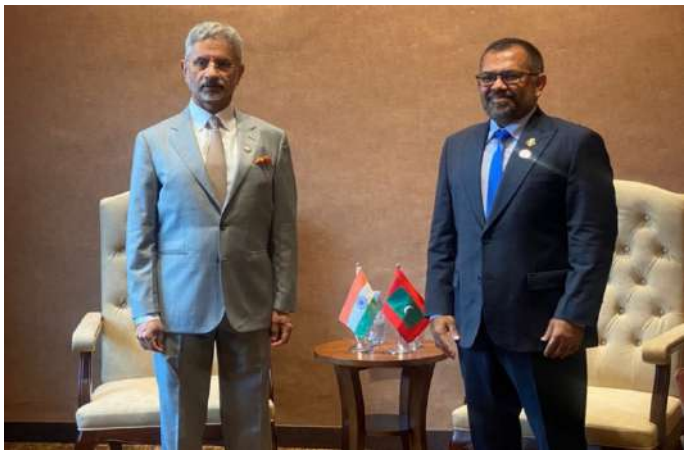

दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत शेख हसीना की सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा है और बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे करीबी और मजबूत सहयोगी है।

रोजनामा सहारा (7 अप्रैल) के अनुसार विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि भारत 'पड़ोसी प्रथम' की नीति पर दृढ़ है, इसलिए भारत ने मालदीव को आवश्यक वस्तुएं भेजना जारी रखा है। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने इसके लिए भारत का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि मैं वर्ष 2024-25 के दौरान मालदीव को भारत से आवश्यक वस्तुओं के आयात हेतु सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। उनका यह फैसला दोनों देशों की दीर्घकालिक मित्रता का परिचायक है। इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि आप का स्वागत है। भारत 'पड़ोसी प्रथम' और 'सागर नीति' पर दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। हम अपने पड़ोसी देशों, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को प्राथमिकता देते हैं।

विदेश मंत्रालय के कार्यालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2024-25 में मालदीव को चीनी, गेहूं, चावल और प्याज जैसी आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को जारी रखा जाएगा। मालदीव स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने कहा है कि 1981 में दोनों देशों के बीच हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत भारत इस वित्त वर्ष के दौरान मालदीव को जो वस्तुएं निर्यात करेगा उनमें एक लाख 24 हजार टन चावल, एक लाख 10 हजार टन गेहूं का आटा, 64 हजार 494 टन चीनी, 25 हजार 513 टन आलू, 35 हजार 749 टन प्याज, 10 लाख टन पत्थर और रेत, 224 टन दालें और 42 करोड़ 70 लाख अंडे शामिल हैं।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सऊदी युवराज से मुलाकात

हिंदुस्तान (9 अप्रैल) के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के युवराज और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। इस अवसर पर बहरीन के युवराज सलमान बिन हमद अल खलीफा भी मौजूद थे। यह मुलाकात इफ्तार के मौके पर हुई। सऊदी अरब की सरकारी संवाद समिति 'एसपीए' के अनुसार इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के नए आयाम तलाश करने और उन्हें विकसित करने के बारे में विचार किया गया। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर भी दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने विचार-विमर्श किया।

इस मौके पर मक्का के गवर्नर शहजादा सऊद बिन मिशाल बिन अब्दुलअजीज अल सऊद, मंत्री शहजादा तुर्की बिन मोहम्मद अल सऊद, रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान अल सऊद, विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद, सऊदी गुप्तचर विभाग के महानिदेशक खालिद बिन अली अल

हुमैदान और पाकिस्तान में सऊदी राजदूत नवाफ बिन सईद अहमद अल-मल्की सहित कई अन्य सऊदी मंत्री भी मौजूद थे। जबकि पाकिस्तान की ओर से रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब, सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज मौजूद थीं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने पद का कार्यभार संभालने के बाद अपने पहले विदेशी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं। उन्होंने मदीना स्थित हजरत मोहम्मद के मकबरे पर हाजिरी दी। इसके बाद वे उमरा अदा करने के लिए मक्का पहुंचे।

उर्दू टाइम्स (9 अप्रैल) के अनुसार सऊदी अरब के वित्त मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यह आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सऊदी अरब शीघ्र ही वहां पर पांच अरब डॉलर का पूंजी निवेश करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने गाजा की स्थिति पर भी चिंता प्रकट की और इस बात पर जोर दिया कि गाजा में इजरायली आक्रामकता को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों को तेज किया जाए। दोनों नेताओं ने एक बयान में विश्व के नेताओं से अपील की है कि वे इजरायल पर इस बात के लिए दबाव डालें कि वह गाजा में तुरंत युद्धविराम को लागू करे। दोनों देशों ने इस बात पर भी सहमति प्रकट की है कि गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनीयों को मानवीय आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जाए। दोनों देशों के संयुक्त वक्तव्य में इस बात पर जोर दिया गया है कि फिलिस्तीन की समस्या के समाधान के लिए यह जरूरी है कि एक आजाद फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण किया जाए, जिसकी राजधानी पूर्वी यरुशलम हो। दोनों पक्षों ने इस बात पर भी सहमति प्रकट की कि भारत और पाकिस्तान के बीच विभिन्न विवादों, जिनमें जम्मू-कश्मीर का विवाद भी शामिल है के समाधान के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता का सिलसिला शुरू किया जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का दौरा करने का भी आमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।

चीन में रोजा और नमाज पर प्रतिबंध

सियासत (5 अप्रैल) के अनुसार दुनियाभर के मुसलमानों के लिए रमजान रोजा, नमाज और जकात का महीना होता है, लेकिन चीन के उस क्षेत्र में जहां पर मुसलमान बड़ी संख्या में हैं वहां पर उनके रोजा रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 'हुई' मुसलमान जनसंख्या की दृष्टि से चीन में तुर्क मूल के 'उइगर' मुसलमानों के बाद सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह हैं। चीन में इनकी आबादी एक करोड़ से भी अधिक बताई जाती है। रमजान महीने के शुरू होने के अगले ही दिन चीन के दक्षिण-पश्चिमी प्रदेश युन्नान की युक्सी म्युनिसिपल गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थानीय ईकाइयों, सरकारी विभागों और शिक्षा विभाग को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वे हर स्तर पर इस बात को सुनिश्चित करें कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का कोई मुस्लिम सदस्य या उनके परिवार के लोग रोजा, नमाज आदि धार्मिक गतिविधियों में भाग न लें।

इस आदेश में यह भी कहा गया है कि राजनीतिक व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए यह जरूरी है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य धार्मिक गतिविधियों से दूर रहें, क्योंकि ऐसा करना चीन सरकार की नीति के खिलाफ है। इस नोटिस में शिक्षा और धर्म को एक दूसरे से अलग रखने पर भी जोर दिया गया है। इसके साथ ही सभी स्कूलों व प्रशिक्षण संस्थानों को यह निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी व्यक्ति को रोजा और नमाज में शामिल न होने दें। जो व्यक्ति इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। वॉयस ऑफ अमेरिका के मंदारिन सेवा से बात करते हुए एक स्थानीय मुस्लिम नेता ने अपनी पहचान को गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि अब स्कूलों में किसी बच्चे को रोजा रखने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त रमजान में सभी मस्जिदों को भी बंद कर दिया गया है। स्कूलों के प्रबंधकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे बच्चों से इस बात की जानकारी प्राप्त करें कि उनके घर में कौन-कौन रोजा रख रहा है ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।

इसके अतिरिक्त युक्सी के सरकारी स्कूलों ने एक प्रश्नावली भी जारी की है, जिसमें बच्चों से पूछा गया है कि उनके परिवार में कौन-कौन रोजा रखता है या फिर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है। युन्नान प्रदेश में चीन की कम्युनिस्ट

पार्टी के मुस्लिम नेताओं का कहना है कि जबसे रमजान का महीना शुरू हुआ है सरकार ने मुसलमानों पर सख्ती शुरू कर दी है ताकि वे न तो रोजा रखें और न ही मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करें। सरकार की इस नीति के कारण 'हुई' मुसलमानों में भारी असंतोष है।

अमेरिकी व्हाइट हाउस में इफ्तार का आयोजन रद्द

रोजनामा सहारा (4 अप्रैल) के अनुसार अमेरिकी मुस्लिम नेताओं द्वारा बहिष्कार की घोषणा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा व्हाइट हाउस में आयोजित किया जाने वाला इफ्तार रात्रिभोज रद्द कर दिया गया है। काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस के उपनिदेशक एडवर्ड अहमद मिशेल ने बताया कि अमेरिकी मुसलमानों ने इस इफ्तार रात्रिभोज का बहिष्कार अमेरिका द्वारा इजरायल को सैन्य सहायता दिए जाने के विरोध में किया है। एक दर्जन से अधिक मुस्लिम नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति को एक संयुक्त पत्र लिखकर यह सूचित किया था कि वे व्हाइट हाउस में आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिका द्वारा फिलिस्तीनी जनता का नरसंहार करने वाली इजरायली सरकार को खुलेआम समर्थन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी मुसलमान बाइडेन सरकार की नीतियों के सख्त खिलाफ हैं, इसलिए वे इस वर्ष के नवंबर महीने में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन और उनकी पार्टी का बहिष्कार करेंगे।

अमेरिकी टेलीविजन चैनल सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ने लगभग 200 प्रमुख अमेरिकी मुसलमानों को इस इफ्तार पार्टी में भाग लेने का निमंत्रण दिया था। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने इस खबर की पुष्टि की है कि अमेरिकी मुसलमानों के बहिष्कार के कारण राष्ट्रपति द्वारा आयोजित इफ्तार रात्रिभोज को रद्द कर दिया गया है।

इजरायल और ईरान के बीच परमाणु युद्ध का खतरा

इंकलाब (11 अप्रैल) के अनुसार अब इजरायल और ईरान के बीच भीषण युद्ध की संभावना व्यक्त की जा रही है। अरब मीडिया के अनुसार दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध का खतरा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लंदन की एक अरबी मीडिया ने सूचना दी है कि सीरिया की राजधानी दमिश्क स्थित ईरानी दूतावास पर इजरायली हमले के बाद दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध होने की संभावना है और इस दौरान इजरायल ईरान के परमाणु अड्डों को अपना निशाना बना सकता है।

गौरतलब है कि दो सप्ताह पूर्व दमिश्क में ईरानी दूतावास पर इजरायली हमले में ईरानी सेना के दो वरिष्ठ अधिकारी सहित सात सैन्य सलाहकार मारे गए थे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा है कि हम इजरायल को मुंहतोड़ जवाब देंगे। अरबी भाषा में प्रकाशित डिजिटल मीडिया संगठन 'एलाफ न्यूज' ने सूचना दी है कि इजरायल अपने लड़ाकू विमान चालकों को ईरान स्थित परमाणु ऊर्जा अड्डों पर हवाई हमला करने का प्रशिक्षण दे रहा है। हालांकि, इजरायल ने इस खबर पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है, लेकिन सीरिया और ईरान दोनों ने इस हमले के लिए इजरायल को दोषी करार दिया है।

न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खुलासा किया है कि इस हमले के पीछे इजरायल का हाथ था। लंदन से प्रकाशित 'द सन' ने उन ईरानी परमाणु ऊर्जा केंद्रों की सूची भी प्रकाशित की है, जिन पर इजरायल हमला कर सकता है। इनमें इराक स्थित हैवी वाटर रिएक्टर, बूशहर स्थित परमाणु ऊर्जा स्टेशन, गाचिन यूरेनियम माइंस एवं यूरेनियम संवर्धन संयंत्र शामिल हैं। द सन का कहना है कि अगर इजरायल इन परमाणु ऊर्जा केंद्रों पर हमला करता है तो इससे मध्य पूर्व में विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है। समाचारपत्र ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका इजरायल का पूर्ण रूप से

समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। वह उसे तकनीक के साथ-साथ परमाणु हथियार भी उपलब्ध करा सकता है ताकि इजरायल की आड़ में अमेरिका अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी ईरान की परमाणु शक्ति को तहस-नहस कर सके।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल को यह आश्वासन दिया है कि अमेरिका हर परिस्थिति में इजरायल का समर्थन करेगा। इसके साथ ही इजरायली रक्षा बलों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं और उन्हें ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। जीपीएस सिग्नल को ट्रैक करने का काम शुरू कर दिया गया है ताकि इजरायल ईरान के संभावित हमले को रोक सके। ईरान इजरायल पर नए बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकता है। हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह ने कहा है कि हम दमिश्क के हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे।

उर्दू टाइम्स (3 अप्रैल) के अनुसार इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क स्थित ईरानी दूतावास पर मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में दूतावास का पूरा भवन ध्वस्त हो गया। इस हमले में कई दर्जन लोग मारे गए। ईरानी मिलिशिया पासदारान-ए-इंकलाब ने इस बात की पुष्टि की है कि इस इजरायली हमले में ईरान के दो वरिष्ठ अधिकारी सहित सात सैन्य सलाहकार मारे गए हैं। अलअरेबिया.नेट की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली हमले में सीरिया और लेबनान में सक्रिय पासदारान-ए-इंकलाब की कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहेदी और उनके सहायक कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हादी हाजी रहीमी सहित कई अन्य ईरानी उच्चाधिकारी मारे गए हैं। इस हमले के बाद ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने घोषणा की है कि हम इजरायल को इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे।

उर्दू टाइम्स (9 अप्रैल) के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा है कि इस हमले के बाद दुनिया में इजरायल का कोई भी दूतावास अब सुरक्षित नहीं है। अब हम अपनी इच्छानुसार इसका जवाब देंगे। दूसरी ओर, इजरायली रक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि हम ईरान की जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

कौमी तंजीम (9 अप्रैल) के अनुसार अमेरिकी गुप्तचर सूत्रों ने दावा किया है कि ईरान इजरायल पर शीघ्र ही हमला कर सकता है। ईरान ने अपने समर्थक सशस्त्र मिलिशिया गुटों को यह निर्देश दिया है कि वे विश्वभर में इजरायल के दूतावासों पर हमले की तैयारी करें। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि ईरान इस हमले के जवाब में इजरायली और अमेरिकी ठिकानों को अपना निशाना बना सकता है, इसलिए इसका सामना करने के लिए अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली है।

सियासत (3 अप्रैल) के अनुसार सीरिया स्थित ईरानी दूतावास पर इजरायली हमले की रूस, सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित अनेक देशों ने निंदा की है और इसे अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह हमला सीरिया की संप्रभुता की धज्जियां उड़ाने के बराबर है। अब ईरान को इस बात का पूरा अधिकार है कि वह इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दे।

अवधनामा (3 अप्रैल) के अनुसार ईरानी संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि ईरान इजरायल को इस हमले का ऐसा जवाब देगा जो उसकी आने वाली कई पीढ़ियों को याद रहेगा।

हिंदुस्तान (9 अप्रैल) के अनुसार ईरान सरकार ने घोषणा की है कि इजरायल नौ विभिन्न ईरानी मिसाइलों की रेंज में आ गया है। सेज्जिल नामक ईरानी मिसाइल इजरायल के किसी भी शहर को अपना निशाना बनाने की क्षमता रखता है। उसकी क्षमता ढ़ाई हजार किलोमीटर तक अपने लक्ष्य को निशाना बनाने की है। जबकि खैबर,

इमाद, शहाब 3, खैबर शेकन, फतह 2, हज कासिम, पवेह और गदर नामक मिसाइल इजरायल के किसी भी शहर को अपना निशाना बना सकते हैं। अरब मीडिया ने यह दावा किया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता ने अपनी सेना को इजरायल पर हमले की पूरी तैयारी करने का आदेश दे दिया है। ईरानी राष्ट्रपति के राजनीतिक सलाहकार मोहम्मद जमशीदी ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर वह इस युद्ध में कूदेगा तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

एतेमाद (10 अप्रैल) के अनुसार हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह ने कहा है कि यह हमला सिर्फ सीरिया पर नहीं, बल्कि ईरान पर भी है और ईरान निश्चित रूप से इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। उन्होंने कहा कि यह इजरायल का आतंकवाद है, जिसके खिलाफ विश्वभर को आवाज उठानी चाहिए। एक अन्य समाचार के अनुसार सीरिया स्थित ईरान के पुराने दूतावास के ध्वस्त होने के बाद ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास के नए भवन का उद्घाटन किया है। इसके बाद उन्होंने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद, विदेश मंत्री फैसल मेकदाद और गुप्तचर संगठनों के उच्चाधिकारियों से भी मुलाकात की।

हिंदुस्तान (10 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि ईरानी हमले की संभावना को देखते हुए इजरायल ने नौ देशों में अपने दूतावासों को बंद कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका ने यह घोषणा की है कि अगर ईरान इजरायल पर हमला करता है तो अमेरिका इजरायल को हर तरह की सहायता देगा। इजरायल ने अपनी सेना की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और वायुसेना को हमले के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। इजरायल ने सभी रिजर्व सैनिकों को भी युद्ध क्षेत्र में ड्यूटी करने के लिए वापस बुला लिया है। ■

तुर्किये के स्थानीय चुनावों में राष्ट्रपति एर्दोगन को बड़ा झटका

सियासत (2 अप्रैल) के अनुसार तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने देश में हुए नगरपालिका के चुनावों में अपनी पार्टी की हार को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि दो दशक तक सत्ता में रहने के बाद उनकी पार्टी के लिए यह चुनाव एक निर्णायक मोड़ था। देशभर में हुए स्थानीय चुनावों में एर्दोगन की पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी को विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी ने हराया है। इस्तांबुल के मेयर एक्रेम इमामोग्लू ने कहा है कि आज का दिन हमारे लिए वसंत का नया युग है। गौरतलब है कि तुर्किये के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इस्तांबुल महानगर पालिका पर कब्जे के लिए व्यक्तिगत रूप से अभियान चलाया था, क्योंकि वे इसी नगरपालिका से राष्ट्रीय राजनीति के क्षितिज पर उभरे थे।

इंकलाब (11 अप्रैल) के अनुसार नगरपालिका के चुनाव तुर्किये के 81 प्रांतों में हुए थे, जिनमें 30 महानगरीय और 1363 जिला

नगरपालिका महापौर चुने गए। इसके अतिरिक्त 1282 प्रांतीय और 21 हजार एक नगरपालिका पार्षद भी चुने गए। गौरतलब है कि ये चुनाव पिछले साल वहां पर हुए संसदीय और राष्ट्रपति चुनाव के दस महीने बाद हुए हैं। इन स्थानीय चुनावों में राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन की पार्टी को अप्रत्याशित रूप से हार का सामना करना पड़ा है। इन चुनावों से यह साबित हो गया है कि तुर्किये की जनता एर्दोगन की आर्थिक नीतियों की विफलता से नाराज है। देश की जनता ने विपक्षी दल रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का समर्थन किया है। वहां पर 1977 के बाद पहली बार रजब तैयब एर्दोगन की पार्टी को पराजित होना पड़ा है।

2019 के चुनाव में विपक्षी नेता एक्रेम इमामोग्लू ने ग्रेटर इस्तांबुल के महापौर पद पर जीत हासिल की थी, लेकिन इसके बावजूद नगर परिषद में बहुमत एर्दोगन की पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के पास ही था। इस पार्टी ने 24 जिलों के महापौर पद पर भी कब्जा कर लिया था। विपक्षी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के सिर्फ 14 महापौर बने थे। हाल के चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को महानगर परिषद के 26 सीटों पर जीत हासिल हुई है। जबकि एर्दोगन की पार्टी सिर्फ 13 सीटें ही जीत पाई है। विश्लेषकों के अनुसार एर्दोगन की हार का कारण उनकी विफल आर्थिक नीतियां, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के अतिरिक्त गाजा के मुद्दे पर उनकी पार्टी की स्पष्ट नीति की घोषणा का अभाव भी है। तुर्किये के राष्ट्रपति ने इन चुनाव परिणामों को अप्रत्याशित बताया है। कहा जाता है कि गाजा पर इजरायली हमले के बावजूद तुर्किये द्वारा इजरायल के साथ राजनयिक संबंधों को बनाए रखना वहां की जनता को पसंद नहीं आया है, क्योंकि वहां की जनता फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रही है। यही कारण है कि एर्दोगन को इन चुनावों में मुंह की खानी पड़ी है।

तुर्किये पर नजर रखने वाले विश्लेषकों का कहना है कि एक ओर तो एर्दोगन की सरकार गाजा की जनता का समर्थन करने का नाटक कर रही थी। जबकि दूसरी ओर तुर्किये की ओर से इजरायल के साथ न केवल राजनयिक संबंधों को बरकरार रखा गया, बल्कि उसे भारी मात्रा में अस्त्र-शस्त्र भी सप्लाई किए गए। देश की जनता को यह आशा थी कि तुर्किये की सत्तारूढ़ पार्टी इजरायल का बहिष्कार करेगी और उसके साथ अपने राजनयिक संबंधों और व्यापारिक रिश्तों को

तुर्किये की सरकार ने इजरायल को अपनी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तुर्किये के व्यापार मंत्रालय के अनुसार ये प्रतिबंध फौरन लागू होंगे और जब तक गाजा में युद्धविराम की घोषणा नहीं की जाती तब तक ये प्रतिबंध जारी रहेंगे। यह प्रतिबंध इजरायल को तुर्किये द्वारा निर्यात की जाने वाली 54 वस्तुओं पर लगाया गया है। गौरतलब है कि गाजा में इजरायल और हमास के युद्ध को शुरू हुए सात महीने हो चुके हैं। इस युद्ध में 33 हजार से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ■

तोड़ लेगी, लेकिन एर्दोगन ने देश की जनता की भावनाओं की पूरी तरह से उपेक्षा की। इसका नतीजा उन्हें चुनावों में हार के रूप में भुगतना पड़ा।

मुंबई उर्दू न्यूज (10 अप्रैल) के अनुसार नगरपालिका के चुनावों में शर्मनाक हार के बाद

शिया ईरान की सैन्य चौकियों पर सुन्नी आतंकी संगठन का हमला

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (5 अप्रैल) के अनुसार ईरान के रस्क नगर और चाबहार स्थित दो सैन्य चौकियों पर सुन्नी इस्लामी आतंकी संगठन जैश अल-अदल ने एक साथ हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इन हमलों में कम-से-कम 11 ईरानी सैनिक मारे गए, जिनमें कुछ उच्चाधिकारी भी शामिल हैं। जबकि सेना की जवाबी कार्रवाई में 16 सशस्त्र आतंकी भी मारे गए। इस हमले की पुष्टि करते हुए ईरान के उप गृह मंत्री माजिद मिरहमादी ने कहा है कि ईरानी सेना की सतर्कता के कारण जैश अल-अदल के इस हमले को विफल बना दिया गया है और किसी भी हमलावर को जिंदा नहीं छोड़ा गया है।

संवाद समितियों की रिपोर्ट के अनुसार जैश अल-अदल नामक सुन्नी आतंकी गुट के सशस्त्र हमलावरों ने ये हमले किए थे। सिस्तान-बलूचिस्तान के चाबहार में स्थित ईरानी मिलिशिया पासदारान-ए-इंकलाब के मुख्यालय को इस सुन्नी आतंकी संगठन ने अपना निशाना बनाया था। इसके अतिरिक्त उसी दिन आधी रात को ईरान के रस्क स्थित सैन्य चौकियों पर भी हमले किए गए। बताया जाता है कि यह सुन्नी आतंकी संगठन पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से सक्रिय है। इस संगठन को ईरान की शिया सरकार का विरोधी बताया जाता है। इस गुट का दावा है कि वह ईरान की सरकार द्वारा सुन्नियों के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। ईरान और अमेरिका सहित अनेक पश्चिमी देश इस संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं।

जैश अल-अदल का शाब्दिक अर्थ है, 'न्याय की सेना'। यह संगठन पिछले कुछ वर्षों में ईरानी सेना पर दर्जनों बार हमले कर चुका है। बताया जाता है कि इस संगठन का संपर्क एक

अन्य बलूच आतंकी संगठन 'अंसार अल-फुरकान' से है। इस समय जैश अल-अदल का प्रमुख सलाहुद्दीन फारुकी नामक एक व्यक्ति है, जिसके भाई अमीर नरौई को अफगानिस्तान की तालिबान सेना ने हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस सुन्नी आतंकी संगठन का गठन 2012 में जुंदअल्लाह नामक एक सुन्नी आतंकी संगठन के सदस्यों ने किया था। गौरतलब है कि 2010 में जुंदअल्लाह के तत्कालीन प्रमुख अब्दोलमलेक रिगी को ईरानी सेना ने मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद इस नए संगठन जैश-अल अदल का गठन ईरान में सक्रिय कुर्द अलगाववादी समूहों के सहयोग से किया गया। इस संगठन ने सीरिया में ईरान समर्थक शिया सरकार द्वारा सुन्नी कुर्दों के खिलाफ अभियान की भी निंदा की है। ईरान की सरकारी मीडिया का आरोप है कि इस सुन्नी आतंकी संगठन को सऊदी अरब और अमेरिका का समर्थन प्राप्त है।

25 अगस्त 2012 को जैश अल-अदल ने पहली बार ईरानी सेना पर हमला किया था। इस हमले में 14 ईरानी सैनिक मारे गए थे। 2013 में ईरान सरकार ने 16 सुन्नी नेताओं को विभिन्न आरोपों में फांसी पर लटका दिया था। इसकी जवाबी कार्रवाई में जैश अल-अदल ने ईरान के सरकारी वकील मूसा नूरी के वाहन पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में मूसा नूरी का ड्राइवर भी मारा गया। इस घटना के नौ दिन बाद इस आतंकी संगठन ने ईरान की एक सीमा चौकी पर हमला करके ईरान के 14 सैनिकों की हत्या कर दी। इसके दो सप्ताह बाद इस आतंकी गुट द्वारा सिस्तान-बलूचिस्तान में बिछाई गई बारूदी सुरंगों के फटने से नौ ईरानी सैनिक मारे गए थे। फरवरी 2014 में इस आतंकी समूह ने ईरानी सेना के पांच अधिकारियों का अपहरण कर लिया और उन्हें पाकिस्तान ले गए। बाद में इन अधिकारियों में से एक की हत्या कर दी गई। उसी वर्ष के अक्टूबर महीने में जैश अल-अदल ने ईरानी सेना के तीन उच्चाधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया।

अप्रैल 2015 में इस गुट ने पाकिस्तान स्थित अपने अड्डे से ईरान में घुसकर ईरानी सेना के एक ठिकाने पर हमला किया, जिसमें तीन लोग मारे गए। अप्रैल 2017 में इस आतंकी समूह ने ईरानी सेना पर हमला किया, जिसमें नौ ईरानी सैनिक मारे गए। यह हमला उस समय किया गया जब ईरानी सैनिक पाकिस्तान-ईरान सीमा पर गश्त कर रहे थे। एक अन्य हमले में जैश अल-अदल के आतंकियों ने 12 ईरानी सैनिकों का अपहरण कर लिया और उन्हें पाकिस्तान ले गए। वहां पर उनकी हत्या कर दी गई। दिसंबर 2018 में चाबहार में इस आतंकी संगठन ने आत्मघाती हमला किया, जिसमें दो ईरानी पुलिस अधिकारी मारे गए और 42 घायल हो गए। जनवरी 2019 में जैश

अल-अदल ने जाहेदान स्थित एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया, जिसमें कम-से-कम तीन ईरानी सैन्य अधिकारी मारे गए। अगले महीने इसी आतंकी संगठन ने ईरान के एक अर्धसैनिक अड्डे पर हमला किया और अनेक लोगों को मौत के घाट उतार दिया।

13 फरवरी 2019 को ईरानी सेना के एक वाहन पर आत्मघाती हमले में 27 सैनिक मारे गए। जुलाई 2023 में इस आतंकी संगठन ने जाहेदान में एक पुलिस थाने पर हमला किया और चार अर्धसैनिक बलों को मौत के घाट उतार दिया। इसी वर्ष के दिसंबर महीने में इस आतंकी संगठन ने सिस्तान-बलूचिस्तान में स्थित रस्क नगर में एक पुलिस थाने पर हुए हमला किया, जिसमें 11 पुलिसकर्मी मारे गए। इसकी जवाबी कार्रवाई के रूप में ईरानी सेना ने पाकिस्तानी क्षेत्र में घुसकर इस आतंकी संगठन के अड्डों को अपना निशाना बनाया, जिसमें कई लोग मारे गए। इस हमले के जवाब में जैश अल-अदल ने एक ईरानी सैन्य अड्डे पर हमला करके तीन ईरानी उच्चाधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें सिस्तान-बलूचिस्तान में स्थित कुद्स फोर्स के प्रमुख कर्नल होसैन-अली जावदानफर भी शामिल थे।

नार्वे और आयरलैंड फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए तैयार

एतेमाद (14 अप्रैल) के अनुसार नार्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने कहा है कि वे स्वशासी फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के लिए तैयार हैं। वे इसका भी प्रयास करेंगे कि फिलिस्तीनी स्टेट को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिल सके। यह बयान उन्होंने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिया। जोनास गहर स्टोर ने कहा कि उन्होंने स्पेन के प्रधानमंत्री से गाजा समस्या के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। हम चाहते हैं कि इस विवाद का स्थाई समाधान खोजा जाए। स्पेन की सरकार भी संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के लिए तैयार है ताकि इस क्षेत्र में स्थाई शांति की स्थापना हो सके। स्पेन का दौरा करने के बाद नार्वे के प्रधानमंत्री अपने देश वापस लौट गए हैं। जबकि स्पेन के प्रधानमंत्री इस समस्या के समाधान के लिए आयरलैंड पहुंच गए और वहां उन्होंने इस संदर्भ में आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस से मुलाकात की। इसके बाद इन दोनों नेताओं ने एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आयरलैंड और स्पेन इस बात पर सहमत हैं कि फिलिस्तीन की स्वशासी सरकार को मान्यता दी जाए। आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा यह प्रयास है कि हम यूरोपीय यूनियन के अन्य देशों का भी इस मामले में समर्थन प्राप्त

करें ताकि मध्य पूर्व में शांति की स्थापना हो सके।

इंकलाब (13 अप्रैल) के अनुसार फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता देने के प्रश्न पर विभिन्न देशों में तीव्र मतभेद उभर कर सामने आए हैं। गौरतलब है कि फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध किया था कि उसे संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता प्रदान की जाए। उसके इस अनुरोध पर विचार करने के लिए सुरक्षा परिषद का एक विशेष अधिवेशन माल्टा की प्रतिनिधि वैनेसा फ्रेजियर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन के बाद वैनेसा फ्रेजियर ने बताया कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए जो आवेदन दिया था वह इसलिए मंजूर नहीं हो सका, क्योंकि इस मुद्दे पर सुरक्षा परिषद के सदस्यों में गंभीर मतभेद थे। फिलिस्तीन को 2012 से संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, मगर अभी तक उसे पूर्ण सदस्यता का दर्जा नहीं मिल सका है।

हमास के प्रमुख का परिवार इजरायली हमले में मारा गया

मुंबई उर्दू न्यूज (12 अप्रैल) के अनुसार हमास के प्रमुख इस्माइल हानियेह ने इस बात की पुष्टि की है कि गाजा पट्टी पर ईद के दिन हुए इजरायली हमले में उसका पूरा परिवार मारा गया। मरने वालों में उसके तीन बेटे मोहम्मद, आमिर और हाजेम सहित चार पोते-पोतियां शामिल थे। हमास के एक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि इस्माइल हानियेह का परिवार एक वाहन में यात्रा कर रहा था, जिसे इजरायलियों ने मिसाइल से उड़ा दिया। वाहन में सवार इस्माइल हानियेह के सभी परिवार वाले मारे गए। इस घटना पर टिप्पणी करते हुए इस्माइल हानियेह ने कहा कि आज मैं अपने परिवार के मारे जाने पर गौरव महसूस कर रहा हूं। अगर दुश्मन यह समझता है कि वह हमारे बच्चों को मारकर फिलिस्तीनी स्वतंत्रता संघर्ष को कुचल देगा तो वह गलतफहमी में है। यह बलिदान मस्जिद अल-अक्सा और यरुशलम की मुक्ति के

लिए हमारे प्रयासों को और भी तेज करेगा। हमें अपने तीन बेटों और चार पोतों के बलिदान पर गर्व है। हानियेह ने कहा कि मेरे परिवार के खून गाजा में मारे जाने वाले अन्य लोगों से ज्यादा कीमती नहीं हैं, क्योंकि गाजा में मारे जाने वाले सभी लोग मेरे परिवार के सदस्य थे।

एतेमाद (14 अप्रैल) के अनुसार इस्माइल हानियेह के परिवार के मारे जाने पर हमास के राजनीतिक मामलों के विदेशी प्रमुख खालिद

मशाल ने कहा कि पिछले छह महीने में हमलोगों ने जो जोरदार संघर्ष किया है वह दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। मशाल दोहा में इस्माइल हानियेह के परिवारजनों के मारे जाने पर आयोजित शोकसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये हत्याएं फिलिस्तीन की आजादी की राह में मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने दुनियाभर के मुसलमानों से अपील की कि वे फिलिस्तीनियों का समर्थन करें और अपनी सरकारों पर इस बात के लिए दबाव डालें कि वे इजरायल के साथ अपने सभी तरह के संबंध तोड़ लें।

इंकलाब (13 अप्रैल) के अनुसार विश्व के अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस्माइल हानियेह के परिवारजनों के मारे जाने पर संवेदना प्रकट की है। तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि इजरायल अंतरराष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है और संयुक्त राष्ट्र इस पर मूकदर्शक बना हुआ है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने भी इस हमले की निंदा की है और कहा है कि अब फिलिस्तीन की आजादी दूर नहीं है। आलमी उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष अली अल-करादागी ने भी इजरायल की निंदा करते हुए मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त लेबनान, जॉर्डन समेत कई मुस्लिम देशों ने भी हानियेह के प्रति संवेदना प्रकट की है।

दो करोड़ लोगों ने मस्जिद–ए–नबवी की जियारत की

सियासत (7 अप्रैल) के अनुसार रमजान के दौरान मदीना स्थित मस्जिद-ए-नबवी की जियारत (दर्शन) के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दो करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है। इसके अतिरिक्त रसूल के रोजा पर हाजिरी देने वालों की संख्या भी 20 लाख से अधिक हो गई है। सऊदी सरकार के सूत्रों के अनुसार रमजान के दौरान 18 लाख से अधिक पुरुषों और पांच लाख के लगभग महिलाओं को रसूल के मकबरे की जियारत के लिए परमिट जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पांच लाख से अधिक लोगों ने अलविदा जुमा की नमाज मस्जिद-ए-नबवी में अदा की। नमाजियों की भीड़ के कारण पूरी ट्रैफिक व्यवस्था ठप हो गई थी।

RNI No. DELHIN/2017/72722

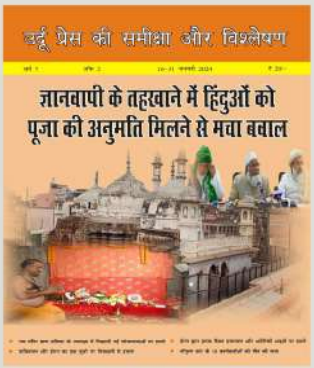

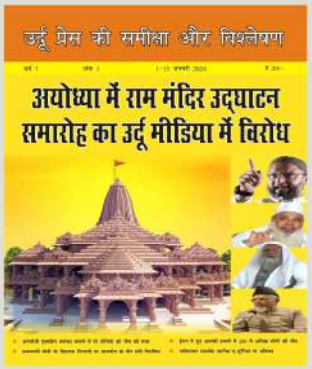

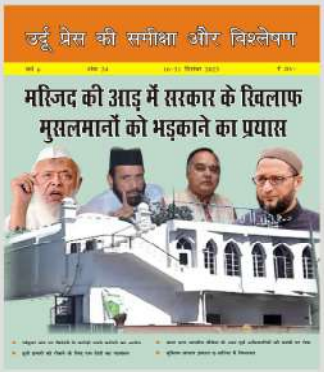

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in